BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 255 OF 2025

(I.A. NO. 580 OF 2025)

IN THE MATTER OF:

JAGAN PRASAD TEHRIYA ….APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ……RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4-DISTRICT MAGISTRATE, AGRA TO THE I.A. NO. 580 OF 2025 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 02.04.2026	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 29.06.2026 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 03.07.2026 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	
4.	COPIES OF ADA ACTION TAKEN REPORT HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3.	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 18.07.2026
Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 255 OF 2025

(I.A. NO. 580 OF 2025)

IN THE MATTER OF:

JAGAN PRASAD TEHRIYA ….APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ……RESPONDENT(s)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4- DISTRICT MAGISTRATE, AGRA TO THE I.A. NO. 580 OF 2025 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 02.04.2026

I, **Manish Bansal**, aged about **36** years, S/o **Shri Ram Avtar Bansal**, presently posted as District Magistrate, Agra do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. UPPCB DIRECTIONS TO ADA AND FOREST DEPARTMENT

3. That it is submitted that the Regional Officer of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra, vide **Letter dated 29.06.2026** directed the Vice-Chairman, Agra Development Authority and the DFO, Social Forestry Division, Agra, to conduct spot inspections and submit detailed Action Taken Reports regarding the grievances of unauthorized construction and felling of trees as raised in **I.A. No. 580/2025**.

4. That the aforementioned letter was duly copied to the answering Deponent herein for the purposes of information and necessary administrative supervision.

   A Copy of the Letter dated 29.06.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-1**.

II. ACTIONS TAKEN BY THE FOREST DEPARTMENT

5. That in response to the UPPCB's letter the Divisional Director of the Social Forestry Division, Agra, submitted his official report vide **Letter dated 03.07.2026**. That the findings of the Forest Department emphasize the subsequent legal initiatives undertaken in response to

NOTARY GOVT OF INDIA

the illicit removal of trees at the subject site:

- **FIR No. 241 dated 27.04.2025** was lodged at the **Police Station Jagdishpura**, Agra, against the concerned accused under the statutory provisions.
- That the Forest Department has previously filed a detailed affidavit dt.

  28.08.2025 before this Hon'ble Tribunal.
- That it was further recorded in the DFO's report that as the infractions concerning land use and structural deviations fall under the regulatory purview of the Agra Development Authority, the necessary sealing and development-related mandates have been transferred to the ADA for execution.

  A Copy of the letter dt. 03.07.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

III. ACTION TAKEN REPORT BY AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY

6. That the Agra Development Authority (ADA) submitted an action-taken report vide **Letter dated 09.07.2026**. That the said report states that the ADA inspected the disputed site at **Krishnapuri, Garhi Bhadauria, Lohamandi Ward, Agra,** and initiated severe statutory proceedings under the **U.P. Urban Planning and Development Act, 1973** against two prime violators:

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt. Agra VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

A. **<u>Action Taken Against Shri Bharat Singh (Plot No. 6, Khasra No. 42, 43, 44, 58 & 59)</u>**

- During site inspection on **09.09.2025**, it was discovered that Shri Bharat Singh was illegally erecting columns and laying a roof/slab over approximately **65 sq. meters** without obtaining any building map approval or layout sanction from the ADA.
- On **10.09.2025**, the ADA served a **Show Cause Notice** under **Section 27(1)** of the Act of 1973 (Case No. ADA/LM/ANI/2025/0002025) demanding why the illegal structures should not be demolished. Simultaneously, a **Stop-Work Order** under **Section 28(1)** was served to immediately halt construction.
- A formal request was made on **10.09.2025** to the In-charge Inspector of **Jagdishpura Police Station** to enforce physical closure of the work under **Section 28(2)**.
- Due to the violator's failure to appear for hearings on **19.09.2025** or produce a sanctioned map, a **Sealing Order** under **Section 28A(1)** was issued. On **26.09.2025**, the enforcement team of the ADA physically sealed the illegal structure. The site remains completely sealed under active police custody.

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Regd No. ...402 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

B. Action Taken Against Shri Kedarnath (Krishnapuri, Garhi Bhadauria, Lohamandi)

- On **20.08.2025**, inspection revealed that Shri Kedarnath had commenced unauthorized construction of a foundation and walls over a vast plot area of approximately **160 sq. meters** without any approved map.
- A **Notice** under **Section 28(1)** (Case No. ADA/LM/ ANI/2025/0001976) and a **Section 27(1) Show Cause Notice** were issued and served on **26.08.2025**. Further, Police assistance under **Section 28(2)** was requested via letter on **28.08.2025**.
- Despite multiple hearing opportunities provided on **03.09.2025** and **16.09.2025**, the builder failed to produce an approved layout and continued illegal bricklaying.
- Consequently, a **Sealing Order** was executed on **26.09.2025** under **Section 28A(1)**. The premises were officially locked and sealed, and custody of the seal was handed over to the Local Police (Jagdishpura) with a warning of criminal prosecution under Section 28A(4) if the seal is tampered with.

A Copy of the ADA Action Taken Report has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

7. Hence, the present response is submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at on this..18th... day of July, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 7 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Explained to Shri Manish Bansal
Read by
Who understood the contents
Solemnly affirmed & declare on
Oath on 18/7/2026
At Agra
Identified by

NOTARY
Pawan Kumar
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

371

Email:roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –250/एल–290/2026 दिनांक –29/06/2026

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/समयबद्ध/महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   आगरा विकास प्राधिकरण,
   आगरा।
2. **प्रभागीय निदेशक,**
   समाजिक वानिकी प्रभाग,
   आगरा।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–255/2025 (आई0ए0–392/2025,579/2025 एवं 580/2025), जगन प्रसाद तहेरिया बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में अवगत मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–255/2025 (आई0ए0–392/2025,579 /2025 एवं 580/2025), जगन प्रसाद तहेरिया बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 02.04.2026 को निम्नांकित आदेश पारित हैं जिसके सुसंगत अंश कमश हैं:–

"1. A letter has been circulated by the counsel for the Applicant seeking adjournment to serve the newly added Respondent-Agra Development Authority. Learned counsel for the Applicant has pointed out that amended memo of parties has already been filed.

2. Learned counsel appearing for the State submits that the reply on behalf of the Respondent No. 7 to IA No. 580/2025 has already been filed yesterday after 3.00 PM. Office is directed to examine and place the same on record. He has prayed for further two weeks' time to file the reply to the IA on behalf of the Respondents No. 4 and 5. It will be open to all other Respondents also to file reply to the IA No. 580/2025 within two weeks.

3. List on 20.07.2026."

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–255/2025 (आई0ए0–392/2025,579 /2025 एवं 580/2025), जगन प्रसाद तहेरिया बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में प्रतिवादी संख्या–4 जिलाधिकारी महोदय, आगरा हैं तथा *IA No. 580/2025* हेतु पारित आदेश दिनांक 02.04.2026 के अनुपालन हेतु प्रतिवादी संख्या–4 का शपथ पत्र स्थायी अधिवक्ता, श्री भंवर पाल सिंह जादोन के माध्यम से दाखिल किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि *IA No. 580/2025* सम्बन्धित प्रकरण पर सम्पादित कृत कार्यवाही की आख्या सुसंगत अभिलेखों के साथ इस कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। योजित प्रकरण अगली सुनवाई 20.07.2026 नियत है।

भवदीय

संलग्नकः– *IA No. 580/2025* की प्रति।

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नांकित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

(ई–मेल)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 58 / 35–3 आगरा : दिनांक, 03/07/2026

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सं0 14, सेक्टर 13बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आगरा।

विषय :– **मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 255/2025 (आई0ए0–392/2025, 579/2025 एवं 580/2025), जगन प्रसाद तेहरिया बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

संदर्भ:– आपका पत्रांक 250/एल–290/2026 दिनांक 29.06.2026

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित स्थल/पार्क में अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में वन विभाग/ इस कार्यालय की ओर से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाते हुए सम्बन्धित थाना जगदीशपुरा में **प्राथमिकी संख्या 241 दिनांक 27.04.2025** (संलग्नक–1) पंजीकृत करायी जा चुकी है जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र के माध्यम से दिनांक 28.08.2025 (संलग्नक–2) को मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को अवगत कराया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि आई0ए0 संख्या 580/2025 से सम्बन्धित प्रकरण में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के स्तर से अग्रेतर कार्यवाही अमल में लायी जानी है। तदनुसार इस कार्यालय द्वारा अमल में लायी गयी कृत कार्यवाही से सम्बन्धित वॉछित सूचना संलग्न कर *(ई–मेल)* के माध्यम से प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि। *(ई–मेल)*

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक : /35–3 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

15-21N

373

कार्यालय–प्रवर्तन अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक :–1398/डी/अ.नि./26–27 दिनांकः–09/07/2026

प्रेषक,

प्रभारी प्रवर्तन,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सं0–14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आगरा।

विषयः– **मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–255/2025 (आई0ए0–392/2025,579/2025 एवं 580/2025, जगन प्रसाद तेहरिया बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2026 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्रांक 250/एल–290/2026 दिनांक 29/06/2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र में IA No. 580/2025 संबंधित प्रकरण पर कृत कार्यवाही की आख्या सुसंगत अभिलेखों के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि खसरा संख्या–42,43, 44 ,58 एवं 59 पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किये जाने पर दो भूखण्डों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है, जिसकी आख्या निम्नवत हैः–

क्र0सं0	**नाम व पता**	**कृत कार्यवाही का विवरण**
1	श्री भरत सिंह, खसरा संख्या–42, 43, 44, 58 एवं 59, कृष्णापुरी, गढ़ी भदौरिया, लोहामण्डी वार्ड, आगरा।	स्थल पर लगभग 65 वर्गमी0 में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किये जाने पर निर्माण के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27, 28(1) व 28 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुये वाद योजित किया गया। वाद में सुनवाई उपरान्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील आदेश परित करते हुये निर्माण को दिनांक 26.09.2025 को सील बंद कर दिया गया तथा सीलबंद परिसर को सील की अभिरक्षा हेतु पत्रांक 1944/डी/अ0नि0/25–26 दिनांक 26.09.2025 निर्गत किया गया। वर्तमान में स्थल सील बंद है (स्थलीय फोटाग्राफ संलग्न)।
2	श्री केदारनाथ, कृष्णापुरी, गढ़ी भदौरिया, लोहामण्डी वार्ड, आगरा।	स्थल पर लगभग 160 वर्गमी0 में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किये जाने पर निर्माण के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27, 28(1) व 28 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुये वाद योजित किया गया। वाद में सुनवाई उपरान्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील आदेश परित करते हुये निर्माण को दिनांक 26.09.2025 को सील बंद कर दिया गया तथा सीलबंद परिसर को सील की अभिरक्षा हेतु पत्रांक 1941/डी/अ0नि0/25–26 दिनांक 26.09.2025 निर्गत किया गया। वर्तमान में स्थल सील बंद है (स्थलीय फोटाग्राफ संलग्न)।

यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या–3, आगरा द्वारा निर्णित वाद संख्या–1082/2006 में कृष्णापुरी कॉलोनी में पार्क हेतु छोड़ी गयी भूमि को कास्तकार की निजी भूमि होना दिनांक 22.11.2011 में निर्णित हुआ है।

उपरोक्त आख्या से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

9/7/26
प्रभारी प्रवर्तन
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

o/c

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
3. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा को सूचनार्थ।
4. सचिव महोदय को अवलोकनार्थ।

प्रभारी प्रवर्तन

आ वि प्रा

कार्यालय विहित प्राधिकारी

आगरा विकास प्राधिकरण

जयपुर हाउस, आगरा, उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र-(क)

(कृपया विनमय 8 देखिये)

कारण बताओ नोटिस

दिनांक : 10/09/2025	**वाद संख्या:** ADA/LM/ANI/2025/0002025
प्रेषण दिनांक: 10/09/2025	**प्रेषण संख्या:**ADA/DSP/0003540

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के आधीन नोटिस

आगरा विकास प्राधिकरण

बनाम

श्री भरत सिंह

भूखंड संख्या :	प्लॉट नं0-6, खसरा नं0-42, 43, 44, 58 एवं 59, लोहामण्डी, लोहामण्डी, गढ़ी भदौरियाप्लॉट नं0-6, खसरा नं0-42, 43, 44, 58 एवं 59 कृष्णापुरी गढ़ी भदौरिया,, लोहामण्डी वार्ड, आगरा।, N	**मोबाइल नंबर :**	
जोन :	लोहामण्डी	**ईमेल आईडी:**	
वार्ड :	लोहामण्डी		
मोहल्ला:	गढ़ी भदौरिया		

अनाधिकृत निर्माण का विवरण:-

अनाधिकृत निर्माण का विवरण	लगभग 65 वर्गमी0 में कॉलम डालकर छत का निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी।
अनाधिकृत निर्माण स्थल का पता	प्लॉट नं0-6, खसरा नं0-42, 43, 44, 58 एवं 59 कृष्णापुरी गढ़ी भदौरिया, लोहामण्डी वार्ड, आगरा।
अनाधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अपेक्षित तिथि	N
दिनांक जब अनाधिकृत निर्माण कार्य पाया गया	09/09/2025
चौहद्दी	
पूरब	**N**
पश्चिम	**N**
उत्तर	**N**
दक्षिण	**N**
पट्टेदार / निर्माण / निर्माणकर्ता का नाम	श्री भरत सिंह पुत्र श्री टेक चन्द
पट्टेदार / निर्माण / निर्माणकर्ता का पता	प्लॉट नं0-6, खसरा नं0-42, 43, 44, 58 एवं 59 कृष्णापुरी गढ़ी भदौरिया,
प्रस्तावित कार्यवाही	अधिनियम की धारा-27, 28(1) एवं 28(2) के अन्तर्गत।
प्रतिवेदन करने वाले का पदनाम	अवर अभियन्ता
प्रतिवेदन करने वाले की सिफ़ारिश	अनाधिकृत निर्माण

उ[illegible]श नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।

अतएव आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण आगरा कार्यालय में दिनांक 19/09/2025 को दोपहर 12 बजे यह बताएं कि पूर्वाक्त निर्माण कान्सट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

आप स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

प्रवर्तन ऐप से प्राप्त विवरण:-

1. भूखण्ड का अनुमानित छेत्रफल (वर्ग मीटर)		**65**	
2. जोन		लोहामण्डी	
3. क्या अवैध प्लॉटिंग हुई है?		**नहीं**	
4. क्या मानचित्र की स्वीकृति हैं ?		**नहीं**	
4.1 क्या ग्रीन बेल्ट में निर्माण किया जा रहा है ?	**नहीं**	**4.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है ?**	आवासीय

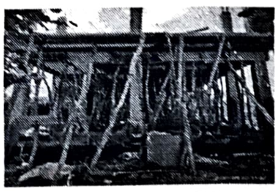

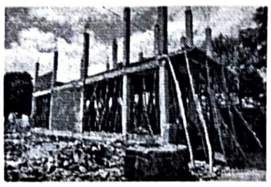

टिप्पणी : आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्थ दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- रू० (रूपया 50 हजार) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रू० 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

भरत सिंह
15-9-25

Rajeev Ratan Pratap Singh
सक्षम प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण

कार्यालय विहित प्राधिकारी

आगरा विकास प्राधिकरण
जयपुर हाउस, आगरा, उत्तर प्रदेश।
प्रपत्र - (क)
(कृपया विनियम 2 देखिये)

विकास कार्य रोकने की सूचना

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा-1 के अधीन आदेश।

कार्यालय विहित प्राधिकारी (प्रवर्तन) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम विकास प्राधिकरण, विकास छेत्र आगरा

दिनांक : 10/09/2025 **वाद संख्या :** ADA/LM/ANI/2025/0002025

प्रेषण दिनांक : 10/09/2025 **प्रेषण संख्या :** ADA/DSP/0003541

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम श्री भरत सिंह

भूखण्ड सं0 प्लॉट नं0-6, खसरा नं0-42, 43, 44, 58 एवं 59, लोहामण्डी, लोहामण्डी, गढ़ी भदौरियाप्लॉट नं0-6, खसरा नं0-42, 43, 44, 58 एवं 59 कृष्णापुरी गढ़ी भदौरिया,, लोहामण्डी वार्ड, आगरा। , N, आवास विकास

क्योंकि आपके द्वारा प्लॉट नं0-6, खसरा नं0-42, 43, 44, 58 एवं 59 कृष्णापुरी गढ़ी भदौरिया, लोहामण्डी वार्ड, आगरा। में, स्थित भूमि का महायोजना / परियोजना विकास योजना का उल्लंघन करके धारा-14 के निर्दिष्ट अनुज्ञा अनुमोदन या मंजूरी के बिना ऐसी शर्तों का उल्लंघन करके जिनके अधीन धारा-14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी की गयी है। विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है / किया जा रहा है।

अतएव एतदद्वारा में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके यह अपेक्षा करता हूँ और आदेश देता हूँ कि उपर्युक्त विकास कार्य आदेश की तामील की तारीख से बंद कर दिया जाए और उस तारीख से बंद रहे। इस आदेश का धारा-26-27 के उपबंधों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-28 (4) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन उपरोक्त पारित आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने वाला कोई व्यक्ति जुर्मने से जो हर दिन के लिए, जिसके दौरान आदेश का तामिल होने के पश्चात अनाधिकृत निर्माण जारी रहा हो, रू०-200/- प्रतिदिन तक हो सकेगा।

भरत सिंह

Rajeev Ratan Pratap Singh
सक्षम प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण

न्यायालय सक्षमप्राधिकारी

आगरा विकास प्राधिकरण

जयपुर हाउस, आगरा उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :– NFL/VC/40/25-26

दिनांकः– 10 / 09 / 2025

प्रेषक,

सक्षम प्राधिकारी,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवामें,

प्रभारी निरीक्षक,
थाना– जगदीशपुरा
आगरा।

विषय :– अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त वाद लोहामण्डी वार्ड के अन्तर्गत निर्माणकर्ता/विपक्षी श्री भरत सिंह पुत्र श्री टेक चन्द द्वारा प्लॉट नं0–6, खसरा नं0–42, 43, 44, 58 एवं 59 कृष्णापुरी गढ़ी भदौरिया, लोहामण्डी वार्ड, आगरा पर लगभग 65 वर्गमी0 में कॉलम डालकर छत का निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखाये जाने के कारण निर्माण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27 के अन्तर्गत 'कारण बताओ नोटिस' एवं धारा–28(1) के अन्तर्गत 'विकास कार्य रोकने का नोटिस' निर्गत किये गये है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि स्थल पर जारी निर्माण/विकास कार्य को उक्त अधिनियम की धारा–28(2) के अन्तर्गत बन्द करवा दें, ताकि स्थल पर अवैध निर्माण न होने पाये।

सक्षम प्राधिकारी

जगदीशपुरा ... कमिश्नरेट

आ वि प्रा

कार्यालय–प्रवर्तन अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक :– ..../डी/सील/अ0नि0/ दिनांक :– ..../........../..........

NFL/VC/40/25-26 **ADA/LM/ANI/2025/0002025**

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

बनाम

श्री भरत सिंह पुत्र श्री टेक चन्द, प्लॉट नं0–5, खसरा सं0–42, 43, 44, 58 एवं 59 कृष्णापुरी गढ़ी भदौरिया, लोहामण्डी वार्ड, आगरा।

सील आदेश

लोहामण्डी वार्ड के अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् दी गयी प्रत्यावेदन आख्या दिनांक 09.09.2025 के अनुसार विपक्षी श्री भरत सिंह पुत्र श्री टेक चन्द द्वारा प्लॉट नं0–5, खसरा सं0–42, 43, 44, 58 एवं 59 कृष्णापुरी गढ़ी भदौरिया, लोहामण्डी वार्ड, आगरा पर लगभग 65 वर्गमी0 में कॉलम डालकर छत का निर्माण किया जा रहा है। मांगे जाने पर निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया। स्थल पर निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27 के अन्तर्गत 'कारण बताओ नोटिस' दिनांक 10.09.2025, धारा–28(1) के अन्तर्गत 'निर्माण कार्य रोकने हेतु नोटिस' दिनांक 10.09.2025 निर्गत कर स्थल पर तामील कराये गये एवं धारा–28(2) के अन्तर्गत निर्माण कार्य रूकवाने हेतु थाना प्रभारी, थाना–जगदीशपुरा, आगरा को भी विभागीय पत्र दिनांक 10.09.2025 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में विपक्षी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 19.09.2025 नियत की गयी। नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ और न ही निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत किया गया। नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा स्थल पर निरन्तर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिस कारण स्थल उ0प्र0 नगर योजना एवं अधिनियम–1973 की धारा–28क (1) के अन्तर्गत स्थल सीलबन्द किया जाना विधिसंगत है।

अतः आदेशित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा नियत दिनांक 26.09.2025 को स्थल पर चिन्हित अनाधिकृत निर्माण को उ0प्र0 नगर योजना एवं अधिनियम–1973 की धारा–28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द की कार्यवाही की जायेगी तथा लगाई गई सील की अभिरक्षा करना विपक्षी का उत्तरदायित्व है, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम प्राधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदय आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सील की कार्यवाही के दौरान स्थल पर मजिस्ट्रेट की तैनाती हेतु सम्बन्धित को आदेशित करनें का कष्ट करें।
2. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
3. पुलिस उपायुक्त (नगर), पुलिस कमिश्नरेट आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रभारी निरीक्षक, थाना–जगदीशपुरा आगरा को नियत तिथि को स्थल पर पुलिसबल के साथ उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी निरीक्षक, थाना–जगदीशपुरा आगरा को नियत तिथि पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

सक्षम प्राधिकारी

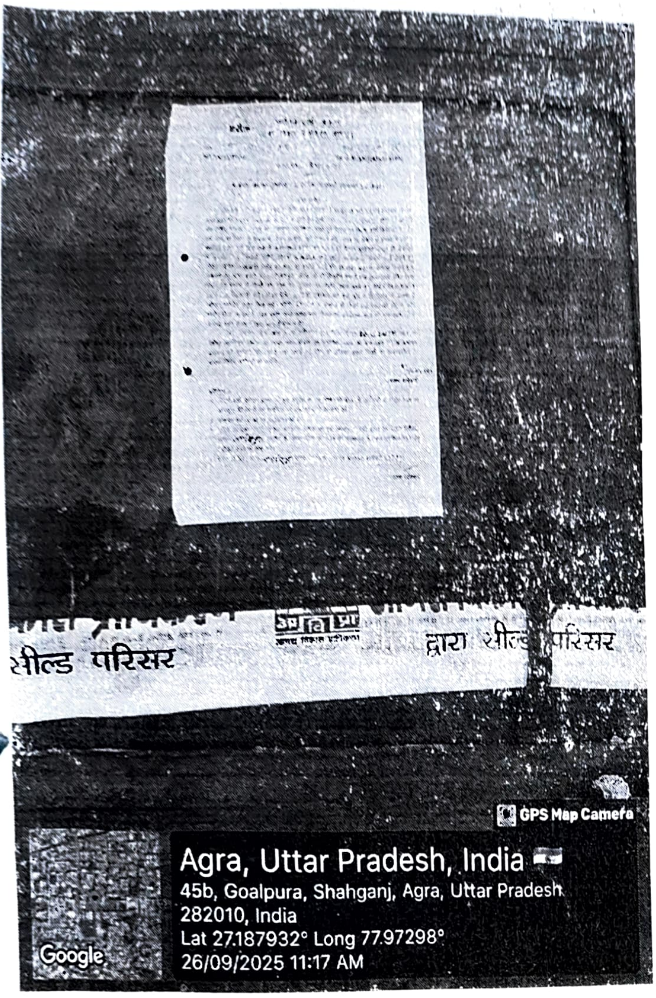
सील्ड परिसर
द्वारा सील्ड परिसर
GPS Map Camera
Agra, Uttar Pradesh, India
45b, Goalpura, Shahganj, Agra, Uttar Pradesh
282010, India
Lat 27.187932° Long 77.97298°
26/09/2025 11:17 AM
Google

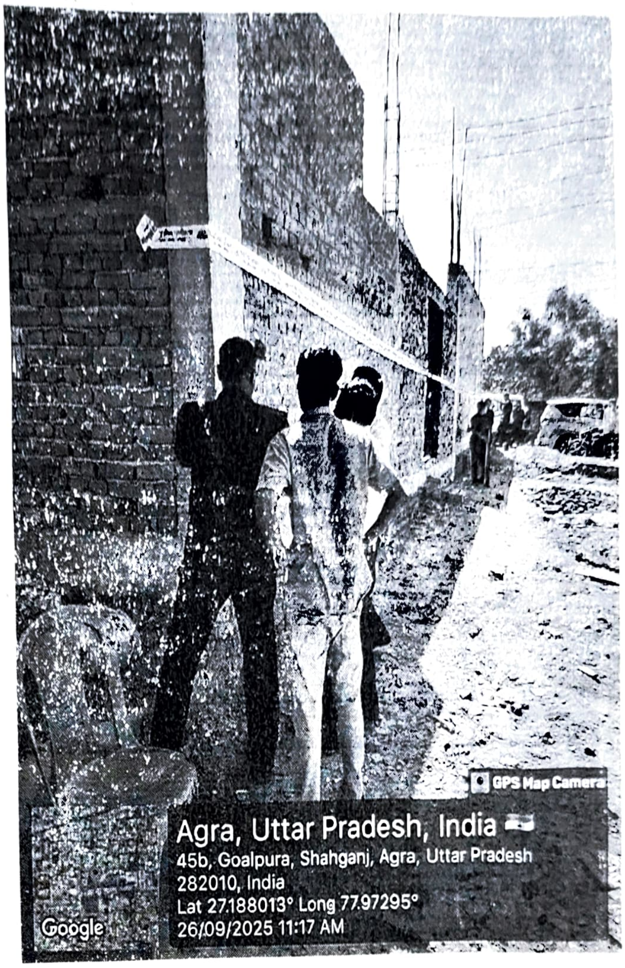
GPS Map Camera
Agra, Uttar Pradesh, India
45b, Goalpura, Shahganj, Agra, Uttar Pradesh
282010, India
Lat 27.188013° Long 77.97295°
26/09/2025 11:17 AM
Google

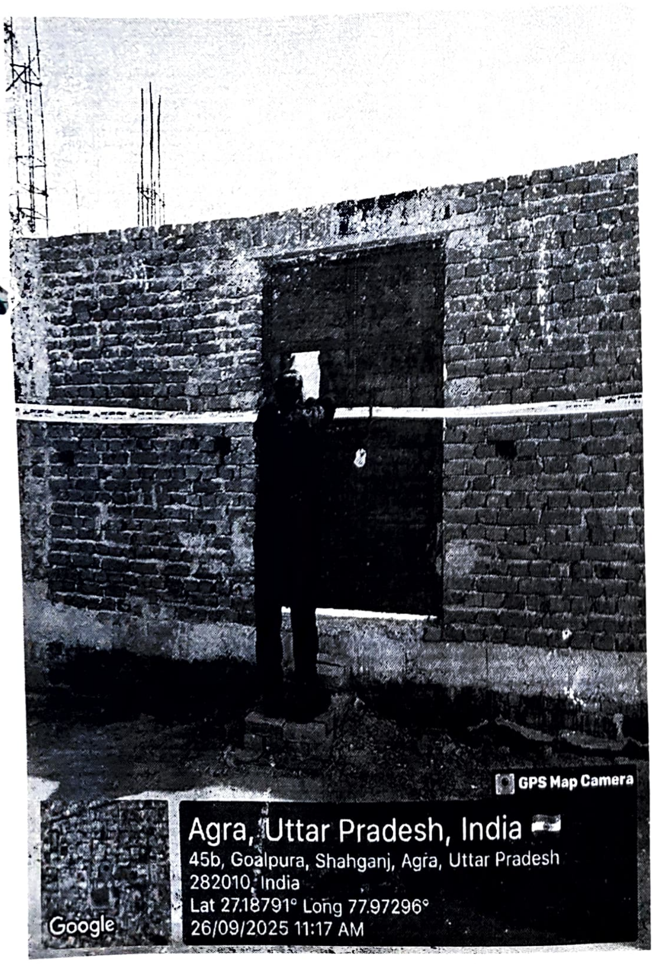
GPS Map Camera
Agra, Uttar Pradesh, India
45b, Goalpura, Shahganj, Agra, Uttar Pradesh
282010, India
Lat 27.18791° Long 77.97296°
26/09/2025 11:17 AM
Google

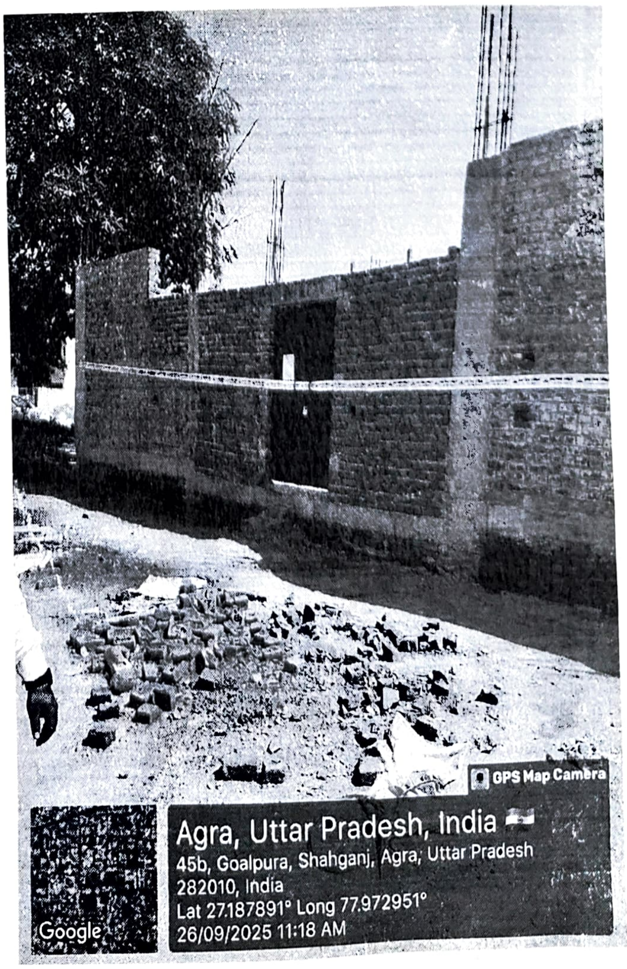
GPS Map Camera
Agra, Uttar Pradesh, India
45b, Goalpura, Shahganj, Agra, Uttar Pradesh
282010, India
Lat 27.187891° Long 77.972951°
26/09/2025 11:18 AM
Google

कार्यालय विहित प्राधिकारी

आगरा विकास प्राधिकरण
जयपुर हाउस, आगरा, उत्तर प्रदेश।
प्रपत्र - (क)
(कृपया विनियम 2 देखिये)

विकास कार्य रोकने की सूचना

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा-1 के अधीन आदेश।

कार्यालय विहित प्राधिकारी (प्रवर्तन) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम
विकास प्राधिकरण, विकास छेत्र आगरा

दिनांक : 26/08/2025 | **वाद संख्या :** ADA/LM/ANI/2025/0001976

प्रेषण दिनांक : 26/08/2025 | **प्रेषण संख्या :** ADA/DSP/0003452

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम श्री केदार नाथ

भूखण्ड सं0 n, लोहामण्डी, लोहामण्डी, गढ़ी भदौरियाकृष्णापुरी, गढी भदौरिया, , लोहामण्डी, आगरा। , n, आवास विकास

क्योंकि आपके द्वारा कृष्णापुरी, गढी भदौरिया, लोहामण्डी, आगरा। में, स्थित भूमि का महायोजना / परियोजना विकास योजना का उल्लंघन करके धारा-14 के निर्दिष्ट अनुज्ञा अनुमोदन या मंजूरी के बिना ऐसी शर्तों का उल्लंघन करके जिनके अधीन धारा-14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी की गयी है। विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है / किया जा रहा है।

अतएव एतदद्वारा में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके यह अपेक्षा करता हूँ और आदेश देता हूँ कि उपर्युक्त विकास कार्य आदेश की तामील की तारीख से बंद कर दिया जाए और उस तारीख से बंद रहे। इस आदेश का धारा-26-27 के उपबंधों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-28 (4) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन उपरोक्त पारित आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने वाला कोई व्यक्ति जुर्मने से जो हर दिन के लिए, जिसके दौरान आदेश का तामिल होने के पश्चात अनाधिकृत निर्माण जारी रहा हो, रू०-200/- प्रतिदिन तक हो सकेगा।

Rajeev Ratan Pratap Singh
सक्षम प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण

विनोद

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी

आगरा विकास प्राधिकरण
जयपुर हाउस, आगरा उत्तर प्रदेश

आ वि प्रा

पत्रांक :– NFL/VC/31/25-26 दिनांकः–26/8/2025

प्रेषक,

सक्षम प्राधिकारी,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक,
थाना–जगदीशपुरा
आगरा।

विषय :– **अनाधिकृत निर्माणके सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोहामण्डी वार्ड के अन्तर्गत निर्माणकर्ता/विपक्षी श्री केदार नाथ द्वारा कृष्णापुरी, गढी भदौरिया, लोहामण्डी, आगरा पर लगभग 160 वर्गमी0 भूखण्ड पर भूतल पर फाउण्डेशन का निर्माण करते हुये दिवारों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखाये जाने पर निर्माण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27 के अन्तर्गत 'कारण बताओ नोटिस' एवं धारा–28(1) के अन्तर्गत 'विकास कार्य रोकने का नोटिस' निर्गत किये गये है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि स्थल पर जारी निर्माण कार्य को उक्त अधिनियम की धारा–28(2) के अन्तर्गत बन्द करवा दें। ताकि स्थल पर अवैध निर्माण न होने पाये।

सक्षम प्राधिकारी O/C

26/08/25

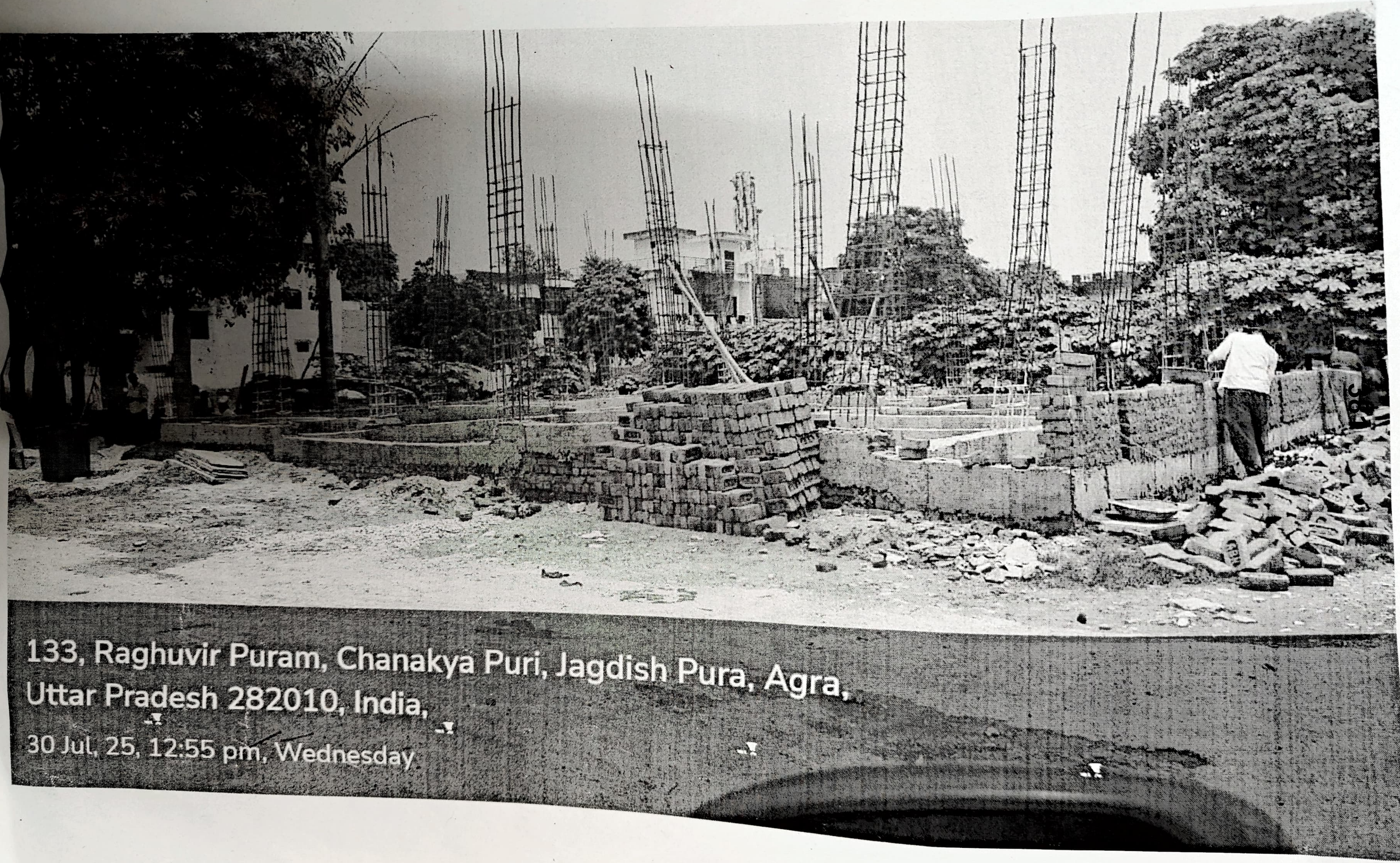
133, Raghuvir Puram, Chanakya Puri, Jagdish Pura, Agra,
Uttar Pradesh 282010, India,
30 Jul, 25, 12:55 pm, Wednesday

1-23

कार्यालय--प्रवर्तन अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :– 1941 /डी/अ0नि0/ 25–26 　　　　　　　　　　　　दिनांक :– 26 / 09 / 25

प्रेषक,

प्रभारी प्रवर्तन
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

JAGDISHPURA SO 282002
:EU580797514IN, IVR No1: 18002666868
03-10-2025 16:21:50, Counter No. 2
To: SHO HFL/NC/50/25-26
JAGDISHPURA, AGRA, 282002
From: PRABHARI PRAVARTAN
ADA, AGRA, 282002
Base Amt: 19.00
To: SHO 1941/डी0/अ0नि0/25-26
P.Mode: Cash 1944/डी0/अ0नि0/25-26
POD:No, www.indiapost.gov.in 26/9/25
भारतीय डाक India Post

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक
थाना–जगदीशपुरा
आगरा।

विषय:-- श्री केदार नाथ पता--कृष्णापुरी, गढी भदौरिया, लोहामण्डी, लोहामण्डी वार्ड, आगरा को सील उपरान्त पुलिस अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक छत्ता वार्ड के अन्तर्गत श्री केदार नाथ पता--कृष्णापुरी, गढी भदौरिया, लोहामण्डी, लोहामण्डी वार्ड, आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के कराये जा रहे निर्माण को दिनांक 26.09.2025 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं सचल दस्ता द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है।

अतः उक्त सीलबन्द स्थल को पुलिस अभिरक्षा में लेने का कष्ट करें।

भवदीय

26.9.25
प्रभारी प्रवर्तन
O/c

प्रतिलिपि :–

श्री केदार नाथ पता--कृष्णापुरी, गढी भदौरिया, लोहामण्डी, लोहामण्डी वार्ड, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण द्वारा परिसर पर लगायी गयी सील की अभिरक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है, अन्यथा विधिक कार्यवाही करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

26.9.25
प्रभारी प्रवर्तन O/c

कार्यालय–प्रवर्तन अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक :– 55 / डी / सील / अ0नि0 / 25-26 दिनांक :– 22 / 09 / 25

NFL/VC/31/25-26 ADA/LM/ANI/2025/0001976

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

बनाम

श्री केदार नाथ पता–कृष्णापुरी, गढी भदौरिया, लोहामण्डी, लोहामण्डी वार्ड, आगरा।

सील आदेश

लोहामण्डी वार्ड के अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् दी गयी प्रत्यावेदन आख्या दिनांक 20.08.2025 के अनुसार विपक्षी श्री केदार नाथ द्वारा कृष्णापुरी, गढी भदौरिया, लोहामण्डी, आगरा पर लगभग 160 वर्गमी0 भूखण्ड पर भूतल पर फाउण्डेशन का निर्माण करते हुये दिवारों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मांगे जाने पर निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया। स्थल पर निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27 के अन्तर्गत 'कारण बताओ नोटिस' दिनांक 26.08.2025, धारा–28(1) के अन्तर्गत 'निर्माण कार्य रोकने हेतु नोटिस' दिनांक 26.08.2025 निर्गत कर स्थल पर तामील कराये गये एवं धारा–28(2) के अन्तर्गत निर्माण कार्य रूकवाने हेतु थाना प्रभारी, थाना–जगदीशपुरा, आगरा को भी विभागीय पत्र दिनांक 26.08.2025 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में विपक्षी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 03.09.2025 व 16.09.2025 नियत की गयीं। नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ और न ही निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत किया गया। नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा स्थल पर निरन्तर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिस कारण स्थल उ0प्र0 नगर योजना एवं अधिनियम–1973 की धारा–28क (1) के अन्तर्गत स्थल सीलबन्द किया जाना विधिसंगत है।

अतः आदेशित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा नियत दिनांक 26-09-2025 को स्थल पर चिन्हित अनाधिकृत निर्माण को उ0प्र0 नगर योजना एवं अधिनियम–1973 की धारा–28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द की कार्यवाही की जायेगी तथा लगाई गई सील की अभिरक्षा करना विपक्षी का उत्तरदायित्व है, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम प्राधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदय आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सील की कार्यवाही के दौरान स्थल पर मजिस्ट्रेट की तैनाती हेतु सम्बन्धित को आदेशित करनें का कष्ट करें।
2. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
3. पुलिस उपायुक्त (नगर), पुलिस कमिश्नरेट आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रभारी निरीक्षक, थाना–जगदीशपुरा आगरा को नियत तिथि को स्थल पर पुलिसबल के साथ उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी निरीक्षक, थाना–जगदीशपुरा आगरा को नियत तिथि पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

20.09.2025

सक्षम प्राधिकारी

GPS Map
Camera Lite
133, Raghuvir Puram, Chanakya Puri, Jagdish Pura, Agra, Uttar Pradesh 282010, India
Latitude
27.18783488°
Longitude
77.97295752°
Local 01:48:08 PM
GMT 08:18:08 AM
Altitude 171 m
Friday, 17.07.2026

GPS Map
Camera Lite
45b, Goalpura, Shahganj, Agra, Uttar Pradesh 282010, India
Latitude
27.1879245°
Longitude
77.97296645°
Local 01:46:20 PM
GMT 08:16:20 AM
Altitude 171 m
Friday, 17.07.2026

OPPO F21 Pro 5G
2026.06.12 14:21

GPS Map Camera
Check In
Agra, Uttar Pradesh, India
133, Raghuvir Puram, Chanakya Puri, Jagdish Pura, Agra, Uttar Pradesh 282010, India
Lat 27.187758° Long 77.97286°
Friday, 12/06/2026 02:22 PM GMT +05:30
Google